# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

**पीठासीन अधिकारीः सीता शर्मा आर. ए. एस.**

**प्रकरण सं0 49/24** **दायर दिनांक :—09—02—2024**

GCMS No. 2024/102

कृष्णलाल पुत्र श्री बुधाराम जाति जाट निवासी चक गोदारान तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

———— अपीलान्ट

बनाम

1—सरपंच ग्राम पंचायत करड़ू. तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

2—रोशनी पत्नी चेनाराम जाति जाट साकिन चक गोदारान तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

3—राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व श्री विजयगनर

———— रेस्पोडेन्टस

## अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956

**उपस्थित :—**

**1— राजवीर भादू अभिभाषक अपीलान्ट ।**

**2— धनवीरसिंह हुन्दल अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं0 2**

**3— पैरोकार राज तहसीलदार, सूरतगढ ।**

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

**—:— निर्णय —:—** **दिनांक :— 24.06.2024**

आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई । अभिभाषक अपीलान्ट एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट एवं पैरोकार राज उपस्थित। उभय पक्षो को सुना गया । प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने रोही करड़ू. तहसील सूरतगढ की जमाबन्दी सम्0त 2068 ता 2071 के खाता सं0 84/75 के खसरा न0 661 में 5.742 है0 , खसरा न0 722 मे 14.728 है0 कुल 20.470 है0 बारानी दोयम खातेदारी भूमि में से 3.036 है0 बारानी दोयम एवं रेस्पोडेन्ट न0 2 ने 0.3795 है0 बारानी दोयम खातेदारी भूमि जरिये बैयनांमा दिनांक 10—06—2021 के इकबालकौर , जगसीरसिंह , हरविन्द्रसिंह से खरीद की है । उक्त खरीद शुदा भूमि का इन्तकाल दर्ज करते समय रेस्पोडेन्ट नं0 1 द्वारा पारित आदेश दिनांक 20—01—2022 इन्तकाल सं0 1782 को स्वीकृत करके उक्त रकबा में अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं0 2 के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज कर दिया गया है यह निर्णय व इन्तकाल खिलाफ कानून खिलाफ रिकार्ड मिसल व प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत पारित निर्णय काबिल खारिज के है । पटवारी हल्का तथा आई एल आर के द्वारा बिना किसी तथ्य की जांच किये इन्तकाल सं0 1782 दिनांक 12—01—2022 तथा 14—01—2022 में दर्ज कर मिलान किया जाना सही अंकन कर दिया गया । जबकि पटवारी हल्का के द्वारा बैयनांमा पंजीयन कमाक सं0 202103219100584 दिनांक 10—06—2021 का हवाला दिया गया है । जिसमें अपीलान्ट का उक्त जैर अपील रकबा में 3.036 है0 भूमि जरिये बैयनांमा के द्वारा खरीद की गई । परन्तू पटवारी हल्का एवं आई एल आर द्वारा बिना कोई मिलान किये अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नं0 2 की बहिस्सा बराबर रकबा दर्ज कर दिया । जो कानून के विपरित है । इसलिए अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य है तथा अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है । रेस्पोडेन्ट नं0 2 के द्वारा उक्त जैर अपीलीय रकबा में 0.3795 है0 रकबा जरिये बैयनामा खरीद किया गया । परन्तू अपीलाधीन आ[illegible] कारण अपीलान्ट का खरीद शुदा रकबा रेस्पोडेन्ट नं0 2 के नाम इन्तकाल के आधार पर [illegible] दर्ज हो गया है जिससे अपीलान्ट को नुकसान हुआ है । उक्त अपीलाधीन [illegible] मनमाने तरीके से बिना कोई जांच किये रेस्पोडेन्ट नं0 2 को फायदा पहुचाने की गर्ज से आदेश जारी किया गया है जो [illegible] योग्य है । अपीलान्ट जैर अपील इन्तकाल की आज तक कोई जानक[illegible] नही थी चुकि अपीलान्ट [illegible] खरीद शुदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.25 17:49:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

भूमि पर ऋण सुविधा प्राप्त करने हेतू जमाबन्दी प्राप्त करने हेतू पटवारी हल्का से दिनांक 16–01–2024 को जमाबन्दी की नकल लेने के लिए मिला तो पटवारी हल्का ने राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करने के पश्चात अपीलान्ट को बताया गया कि उक्त रकबा में आपका 3.036 है0 के स्थान पर 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड दर्ज है। जिस पर अपीलान्ट ने उसी दिन इन्तकाल की नकल एवं जमाबन्दी पटवारी हल्का से प्राप्त कर बिना देरी किये हुये अपील प्रस्तुत कर दी गई । इसके अलावा जैर अपील आदेश शुरू से शुन्य है जिसमें मियाद का बिन्दू नही आता है इसलिए भी अपीलान्ट की अपील फैसले की जानकारी से अन्दर मियाद है मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र संलग्न अपील है व देरी माफी योग्य है । इसलिए अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाये जावे एवं अपीलान्ट मे नाम 3.036 है0 एव रेस्पोडेन्ट न0 2 के नाम 0.3795 है0 भूमि का इनतकाल दर्ज करने का आदेश प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया गया। रेस्पोडेन्टस को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं0 2 की तरफ से अभिभाषक धनवीरसिंह हुन्दल उपस्थित हुये । पेरोकार राज उपस्थित। रेस्पोडेन्ट सं0 2 के द्वारा जबाब अपील प्रस्तुत कर स्वीकार किया कि रोही करडू. तहसील सूरतगढ के खाता सं0 84/75 के खसरा न0 661 में 5.742 है0 , खसरा न0 722 मे 14.728 है0 कुल 20.470 है0 बारानी दोयम खातेदारी भूमि में से अपीलानट ने 3.036 है0 बारानी दोयम एवं रेस्पोडेन्ट न0 2 ने 0.3795 है0 बारानी दोयम खातेदारी भूमि जरिये बैयनांमा दिनांक 10–06–2021 के इकबालकौर , जगसीरसिंह , हरविन्द्रसिंह से खरीद की है और इसी मुताबिक रेस्पोडेन्ट नं0 2 राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने का कानूनन हकदार है। अपीलाधिन आदेश दिनांक 20–01–2022 इनतकाल सं0 1782 बहिस्सा बराबर दर्ज कर स्वीकृत करवाये गये इन्तकाल को निरस्त फरमाया जाता है तो रेस्पोडेन्ट न0 2 को कोई एतराज नही है । राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट के नाम 3.036 है0 एवं रेस्पोडेन्ट सं0 2 के नाम 0.3795 है0 भूमि का इन्तकाल दर्ज करने का आदेश प्रदान किये जाते है जो कानूनन सम्मत है ।

अपीलान्ट के द्वारा अपील के साथ दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया । जिसका खण्डन रेस्पोडेन्ट के द्वारा नही किया गया तथा रेस्पोडेन्ट नं0 2 के द्वारा अपीलान्ट के प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को स्वीकार किया है । इसलिए अपीलान्ट का मियाद प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है ।

इसके पश्चात अभिभाषक अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट उपस्थित। अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक की बहस सुनी गई । अपीलान्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अपीलान्ट ने रोही करडू. तहसील सूरतगढ के खाता सं0 84/75 के खसरा न0 661 में 5.742 है0 , खसरा न0 722 मे 14.728 है0 कुल 20.470 है0 बारानी दोयम खातेदारी भूमि में से 3.036 है0 बारानी दोयम एवं रेस्पोडेन्ट न0 2 ने 0.3795 है0 बारानी दोयम खातेदारी भूमि जरिये बैयनांमा दिनांक 10–06–2021 के इकबालकौर , जगसीरसिंह , हरविन्द्रसिंह से खरीद की है । उक्त खरीद शुदा भूमि का इन्तकाल दर्ज करते समय रेस्पोडेन्ट नं0 1 द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–01–2022 इन्तकाल सं0 1782 को स्वीकृत करके उक्त रकबा में अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं0 2 के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज कर दिया गया है इसलिए जैर अपील आदेश निरस्त योग्य है रेस्पोडेन्ट नं0 2 के द्वारा उक्त जैर अपीलीय रकबा में 0.3795 है0 रकबा जरिये बैयनामा खरीद किया [illegible] अपीलाधीन आदेश के कारण अपीलान्ट का खरीद शुदा रकबा रेस्पोडेन्ट नं0 2 के नाम इन्तकाल के आधार पर जमाबन्दी में दर्ज हो गया है जिससे अपीलान्ट को नुकसान हुआ है । इसलिए अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाये जावे एवं अपीलान्ट मे नाम 3.036 है0 एव रेस्पोड़ेन्ट न0 2 के नाम 0.3795 है0 भूमि का इन्तकाल दर्ज करने का आदेश प्रदान किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.25 17:49:32 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पोडेन्ट नं0 2 ने अपने जबाब अपील के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि रोही करडू. तहसील सूरतगढ के खाता सं0 84/75 के खसरा न0 661 में 5.742 है0 , खसरा न0 722 मे 14.728 है0 कुल 20.470 है0 बारानी दोयम खातेदारी भूमि में से अपीलानट ने 3.036 है0 बारानी दोयम एवं रेस्पोडेन्ट न0 2 ने 0.3795 है0 बारानी दोयम खातेदारी भूमि जरिये बैयनांमा दिनांक 10—06—2021 के इकबालकौर , जगसीरसिंह , हरविन्द्रसिंह से खरीद की है और इसी मुताबिक रेस्पोडेन्ट नं0 2 राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने का कानूनन हकदार है। अपीलाधिन आदेश दिनांक 20—01—2022 इनतकाल सं0 1782 बहिस्सा बराबर दर्ज कर स्वीकृत करवाये गये इन्तकाल को निरस्त फरमाया जाता है तो रेस्पोडेन्ट न0 2 को कोई एतराज नही है । राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट के नाम 3.036 है0 एवं रेस्पोडेन्ट सं0 2 के नाम 0.3795 है0 भूमि का इन्तकाल दर्ज करने का आदेश प्रदान किये जाते है जो कानूनन सम्मत है

इस प्रकार अपील अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट की बहस का मनन कर पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावैजो का गहनता से अवलोकन किया गया अपीलान्ट ने रोही करडू. तहसील सूरतगढ के खाता सं0 84/75 के खसरा न0 661 में 5.742 है0 , खसरा न0 722 मे 14.728 है0 कुल 20.470 है0 बारानी दोयम खातेदारी भूमि में से 3.036 है0 बारानी दोयम एवं रेस्पोडेन्ट न0 2 ने 0.3795 है0 बारानी दोयम खातेदारी भूमि जरिये बैयनांमा दिनांक 10—06—2021 के इकबालकौर , जगसीरसिंह , हरविन्द्रसिंह से खरीद की है। उक्त खरीद शुदा भूमि का इन्तकाल दर्ज करते समय रेस्पोडेन्ट नं0 1 द्वारा पारित आदेश दिनांक 20—01—2022 इन्तकाल सं0 1782 को स्वीकृत करके उक्त रकबा में अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं0 2 के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज कर दिया गया है । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बैयनांमा का अवलोकन किये बिना , बिना जांच व मात्र अपने क्यासो के आधार पर इन्तकाल स्वीकार किया जाना कानूनी भूल समझते है । इसलिए अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित समझते है ।

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक दिनांक 20—01—2022 इन्तकाल सं0 1782 को निरस्त किया जाता है रोही करडू. तहसील सूरतगढ जमाबन्दी सम्0वत 2068 ता 2071 के खाता सं0 84/75 के खसरा न0 661 में 5.742 है0 , खसरा न0 722 मे 14.728 है0 कुल 20.470 है0 बारानी दोयम खातेदारी भूमि में से अपीलान्ट के नाम 3.036 है0 बारानी दोयम एवं रेस्पोडेन्ट न0 2 ने 0.3795 है0 बारानी दोयम खातेदारी भूमि का बैयनांमा के आधार पर इन्तकाल दर्ज करने हेतू आदेश दिया जाता है। खर्चा पक्षकार अपना —2 वहन करे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 24.06.24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.25 17:49:32 IST
Reason: SelfAttested